राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वृहद प्रस्ताव तैयार कर रहा

महिला समूहों को ऋण में स्टाम्प शुल्क माफ होगा

अच्छी खबर

लखनऊ | हेमंत श्रीवास्तव

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण का मजबूत आधार बने स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को बैंक से ऋण दिलाने में स्टाम्प शुल्क समाप्त कराने की तैयारी की जा रही है। उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इसके लिए वृहद प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव पर सरकार की सहमति बनने पर समूहों की दीदियों को स्वरोजगार के लिए बैंकों से ऋण लेने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। आजीविका मिशन ने चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख समूहों को करीब 1900 करोड़ रुपये बैंकों से ऋण दिलाने का लक्ष्य है।

प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगाः विभागीय सूत्रों के मुताबिक मिशन ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव बहुत जल्द ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को भेजा जाएगा। अपर मुख्य सचिव की सहमति बनने पर यह प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। यह प्रस्ताव पास हो जाने के बाद स्टांप वेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समूह की महिलाओं को काफी आसानी होगी।

बिना गारंटी के दिलाया जाता है बैंकों से ऋणः आजीविका मिशन द्वारा समूहों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से न्यूनतम एक लाख रुपये तक ऋण के रूप में दिलाया जाता है। यह कर्ज बिना किसी गारंटी के महिलाओं को दिलाने की व्यवस्था है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त करा कर स्वरोजगार से जोड़ना होता है। बैंक समूहों को ऋण देने में 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के स्टांप पेपर लेते हैं। स्टांप पेपर खरीदने पर वेंडर कमीशन भी लेते हैं।

31 मार्च 2021 तक

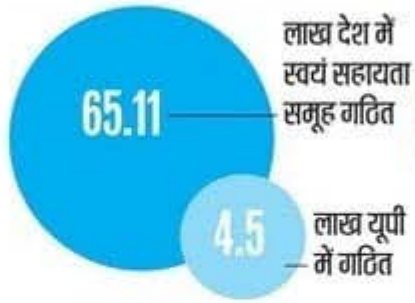

2020-21 बैंक से ऋण मिला

स्टाम्प शुल्क में छूट मिलने से समूहों को ये लाभ होंगे

- स्टांप शुल्क माफ होने पर महिला समूह की दीदियों को स्टांप वेंडर के पास नहीं जाना पड़ेगा। स्टांप शुल्क के साथ ही उनका आने जाने का खर्च बचेगा।
- सभी बैंकों में स्टांप को लेकर एकरूपता नहीं होने से अनुचित एवं अपर्याप्त स्टैंपिंग के कारण बैंकों से आवेदन अस्वीकृत होने की आशंका भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
- आंध्र प्रदेश ने 2001 में ही समूहों को बैंक से ऋण लेने में स्टांप शुल्क को पूरी तरह हटा दिया था। बाद के वर्षों में बिहार, झारखंड सहित करीब दस राज्यों ने भी स्टांप शुल्क हटा दिया।